न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या – 82/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/86

अपीलान्ट :–

1. मूलसिंह पुत्र स्व0 दीपसिंह
2. मानसिंह पुत्र स्व0 दीपसिंह
3. पदमसिंह पुत्र स्व0 दीपसिंह

जातियान राजपूत, निवासीगण गजेसिंह नगर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर हाल निवासी नवातला, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. किशोरसिंह पुत्र ज्वार सिंह
2. नखतसिंह पुत्र मंगलसिंह
3. आम्बसिंह पुत्र मंगलसिंह
4. वीरमसिंह पुत्र मंगलसिंह
5. भंवरकंवर पत्नी मंगलसिंह
6. जोगसिंह पुत्र गुणपत सिंह
7. बादल कंवर पत्नी गुणपत सिंह
8. अमानसिंह पुत्र पाबुदानसिंह
9. विजयसिंह पुत्र पाबुदानसिंह
10. चनणसिंह पुत्र पाबुदानसिंह
11. मनोहरसिंह पुत्र पाबुदानसिंह
12. हंसी कंवर पत्नी पाबुदानसिंह
13. खुमाणसिंह पुत्र तखतसिंह
14. मोडसिंह पुत्र तखतसिंह
15. दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह
16. मालमसिंह पुत्र तखतसिंह
17. पुरकंवर पत्नी तखतसिंह
18. सवाईसिंह पुत्र खींवसिंह
19. स्वरूपसिंह पुत्र खींवसिंह
20. कुम्भसिंह पुत्र खींवसिंह
21. भंवरकंवर पत्नी खींवसिंह
22. पेपसिंह पुत्र खींवसिंह
23. जालमसिंह पुत्र भींवसिंह
24. आम्बसिंह पुत्र भींवसिंह
25. परमवीर सिंह पुत्र भींवसिंह
26. नखत कंवर पुत्री भींवसिंह
27. जेठी कंवर पुत्री भींवसिंह
28. मन्जु कंवर पुत्री भींवसिंह
29. दरियाव कंवर पत्नी भींवसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

30. उदेसिंह पुत्र नगासिंह
31. बाबूसिंह पुत्र नगसिंह
32. गजेसिंह पुत्र नगसिंह
33. समदकंवर पत्नी गुमानसिंह
34. भैरूसिंह पुत्र रामसिंह
35. मोहनसिंह पुत्र रामसिंह
36. भोपसिंह पुत्र रामसिंह
37. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह
38. खमाकंवर पत्नी रामसिंह
39. नरपतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के कायम मुकाम :–
    - 39/1. नखत सिंह पुत्र नरपत सिंह
    - 39/2. राजू सिंह पुत्र नरपत सिंह
    - 39/3. डूंगर सिंह पुत्र नरपत सिंह
    - 39/4. मोनू कंवर पुत्री नरपत सिंह
    - 39/5. रसाल कंवर पुत्री नरपत सिंह
    - 39/6. लाधू कंवर पत्नी नरपत सिंह
40. हीरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
41. मोहनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
42. तेजसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
43. जगमाल सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
44. लखसिंह पुत्र हमीरसिंह के कायम मुकाम :–
    - 44/1. अनोप सिंह पुत्र लख सिंह
    - 44/2. चनण सिंह पुत्र लख सिंह
    - 44/3. कंवरू कंवर पुत्री लख सिंह
    - 44/4. गुलाब कंवर पुत्री लख सिंह
    - 44/5. चन्द्र कंवर पत्नी लख सिंह
45. उदेसिंह पुत्र हमीरसिंह
46. खेतसिंह पुत्र हमीरसिंह
47. मनोहरसिंह गोद पुत्र सांगसिंह
48. करणसिंह पुत्र दीपसिंह

    सभी जातियान राजपूत, निवासीगण गजेसिंह नगर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
49. तहसीलदार शेरगढ़ तहसील शेरगढ़।
50. राज्य सरकार जरिये तहसीदार, शेरगढ़।

प्रथम भू–राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 9.2.1983, जो तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ननेऊ (अपीलान्ट्स की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री नाहर सिंह (रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 9, 13, 14, 15 व 21 की ओर से)।
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश **दिनांक : 24.02.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा ग्राम भूंगरा के नामान्तरकरण संख्या 408 पर पारित आदेश दिनांक 9.2.1983 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.1.2019 को पेश की गई है। अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ–पत्र भी पेश किया है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को अपना पक्ष पेश करने हेतु नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4, 9, 13, 14, 15 व 21 की ओर से अधिवक्ता श्री नाहर सिंह ने उपस्थिति दी परन्तु शेष प्रत्यर्थीगण बावजूद नोटिस तामिल किसी प्रत्यर्थी ने उपस्थित होकर अपील बाबत् एतराज पेश नहीं किया है। अतः अन्य प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किए जाते है।
3. प्रकरण के संक्षिप्त व सारभूत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भूंगरा का खसरा संख्या 300 रकबा 122–04 बीघा की भूमि दीपसिंह पुत्र बहादुरसिंह व अन्य खातेदारों के नाम खातेदारी में दिनांक 9.2.1983 की जमाबन्दी के खाता संख्या 130 अनुसार दर्ज थी। खातेदार दीपसिंह को फौत बताकर उनके विधिक वारिसान् के नाम इन्तकाल दर्ज करने हेतु ग्राम भूंगरा का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 09.02.1983 को तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 48 करणसिंह को दीपसिंह का पुत्र बताकर स्वीकृत किया गया। उक्त इन्द्राज से व्यथित होकर 36 वर्ष बाद अपीलान्ट्स मूलसिंह, मानसिंह व पदमसिंह ने यह अपील इस आधार पर पेश की है कि प्रत्यर्थी सख्या 48 करणसिंह नाम का कोई व्यक्ति दीपसिंह जी का पुत्र नहीं है। दीपसिंह के वारिसान् सिर्फ अपीलान्ट्स ही है। पटवारी ने करणसिंह को गलत रूप से दीपसिंह का पुत्र बताकर नामान्तरकरण गलत रूप से खोलकर स्वीकृत कराया है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय पूर्ण जांच नहीं की है। विवादग्रस्त भूमि में दीपसिंह का 1/2 हिस्सा है जिस पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर करणसिंह का नाम खारिज कर अपीलान्ट्स का नाम करणसिंह के स्थान पर दीपसिंह के वारिसान के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

4. अपील पेश करने हेतु हुई देरी के बिन्दु पर अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक को सुना गया, जिन्होनें अपील मीमों एवं संलग्न प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में अंकित कथनों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स ग्राम नवातला तहसील पचपदरा जिला बालोतरा में रहते है तथा वादग्रस्त आराजी ग्राम भूंगरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में आई हुई है। हाल में ही बैंक लोन लेने हेतु नकल जमाबन्दी पटवारी हल्का भूंगरा से लेने पर दिनांक 04.01.2019 को सर्वप्रथम दीपसिंह की भूमि, कर्णसिंह नाम के व्यक्ति के नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील दिनांक 17.01.2019 को तुरन्त पेश कर दी है। देरी सद्भाविक है तथा प्रकरण उत्तराधिकार के अधिकारों से संबंधित है जिसमें अपीलान्ट्स का जन्म से ही अधिकार है, मात्र अज्ञानता के कारण अपीलान्ट्स को अपने कानूनी साम्पतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः न्यायहित में देरी को कन्डोन कर अपीलान्ट को मेरिट पर सुनकर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है जिस पर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स के उक्त तर्कों व प्रकरण के यूनिक तथ्यों व परिस्थितिजन्य कारकों के दृष्टिगत अपीलान्ट्स द्वारा इस अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक प्रतीत होने से धारा 5 का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील म्याद के भीतर पेश करना सुमार किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर निर्णित करना उचित है क्योंकि इस प्रकरण के तथ्य विशेष प्रकृति के है।

5. उभयपक्ष की बहस दिनांक 28.01.2025 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 24.02.2025 को आदेश हेतु रखी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार शेरगढ़ से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार शेरगढ़ को भेजा जावे। अपीलान्ट्स के अलावा दीपसिंह के अन्य कोई वारिसान् नहीं है। करणसिंह का नाम दीपसिंह के वारिसान् के रूप में बिल्कुल गलत आया है। दीपसिंह के परिवार में भी करणसिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्त के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रकरण रिमांड करने में सहमत है।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, बहस के दौरान प्रस्तुत अभिकथनों/तर्कों एवं प्रकरण से सम्बन्धित सुसंगत विधिक प्रावधानों का भलीभांति अध्ययन किया तथा विश्लेषण उपरान्त हमारी विवेचना एवं निष्कर्ष इस प्रकार है।

(A) अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 408 दीपसिंह का स्वर्गवास बताकर दिनांक 9.02.1983 को तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा करण सिंह के नाम उसे दीपसिंह का पुत्र बताकर स्वीकृत किया गया है। दीपसिंह 1/2 हिस्सा की आराजी का सहखातेदार है। अपीलान्ट्स का कथन है कि करणसिंह नाम का कोई व्यक्ति दीपसिंह का पुत्र नहीं है तथा अपीलान्ट्स ही एकमात्र दीपसिंह के कानूनी वारिसान् है। करणसिंह को अपना पक्ष पेश करने हेतु सार्वजनिक विज्ञप्ति दैनिक नवज्योति के जोधपुर अंक में दिनांक 22.03.2024 को प्रकाशित की गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।

(B) तहसीलदार शेरगढ़ से इस न्यायालय के पत्रांक/एडीएम प्रथम/कोर्ट/जोधपुर/2024/238 दिनांक 25.10.2024 से दीपसिंह के कानूनी वारिसानों की जाचं रिपोर्ट मंगवाई गई, जिस पर तहसीलदार शेरगढ़ ने पत्रांकःभू0अ0/2024/2939 दिनांक 21.11.2024 से पटवारी हल्का भूंगरा से जांच रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 प्राप्त कर इस न्यायालय में पेश की है, जिसके अनुसार दीपसिंह के वारिसान् का निवास ग्राम कालाथल नवातला तहसील पचपदरा जिला बालोतरा में बताया है तथा शेष सहखातेदारों का निवास भूंगरा में बताया है तथा सहखातेदारों तथा अन्य से पूछताछ के आधार पर कहा है कि दीपसिंह के तीन पुत्र मूलसिंह, पदमसिंह व मानसिंह है, जो बरसात के दौरान खेती करने भूंगरा आते है परन्तु करणसिंह के बारे में जांच रिपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा है।

(C) अपीलान्ट्स ने दीपसिंह पुत्र बहादुरसिंह, निवासी कालाथल, नवातला, तहसील पचपदरा का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.10.2014 की फोटो प्रति पेश की है, जिसमें दीपसिंह की मृत्यु की तारीख 08.01.2004 अंकित है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत कालाथल द्वारा जारी वारिसान् की सूची भी पेश की है, जिसमें अपीलान्ट्स मूलसिंह, पदमसिंह व मानसिंह को दीपसिंह का वारिसान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

बताया है तथा यह भी लिखा है कि करण सिंह पुत्र दीपसिंह के नाम से कोई व्यक्ति इनके परिवार में नहीं है।

(D) अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील दिनांक 17.01.2019 को पेश की थी, जिसमें करण सिंह को तो प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित ही नहीं किया गया है, जबकि अपील ही उसका नाम हटाने बाबत् पेश की है। इसे गलती मानते हुए एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी. पी. सी. दिनांक 21.12.2021 पेश कर करणसिंह को रेस्पोडेन्ट के रूप में संयोजित करने की अनुमति मांगी गई, जिस पर प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अनापत्ति अंकित की है तथा आदेश दिनांक 21.12.2021 से करण सिंह को प्रत्यर्थी संख्या 48 के रूप में संयोजित किया है तथा करण सिंह के नाम नोटिस जारी करने के आदेश दिए तथा अखबार में विज्ञप्ति दिनांक 22.03.2024 को जारी हुई परन्तु करण सिंह के नाम व्यक्तिगत नोटिस जारी नहीं हुआ है।

(E) अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 9.2.1983 को तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा करण सिंह के नाम स्वीकृत हुआ तथा यह अपील दिनांक 17.1.2019 को 36 वर्ष बाद पेश हुई है। अपीलान्ट्स ने अपील मीमों में कही पर भी दीपसिंह के निधन की तिथि अंकित नहीं की है परन्तु अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 16.10.2024 को इस न्यायालय में दीपसिंह का मृत्यु प्रमाण–पत्र की जो फोटोप्रति पेश की है, उसमें दीपसिंह की मृत्यु दिनांक 08.01.2004 अंकित है तथा रजिस्ट्रीकरण की तारीख 20.01.2004 अंकित कर मृत्यु प्रमाण–पत्र 1.10.2014 को दस वर्ष बाद जारी किया है। यहाँ यह संदेह उत्पन्न होता है कि मृत्यु प्रमाण–पत्र अनुसार जब दीपसिंह की मृत्यु दिनांक 08.01.2004 को हुई है, तो 21 साल पहले दीपसिंह को फौत बताकर विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 9.2.1983 को कैसे खोला जाकर किस आधार पर स्वीकृत किया गया है।

(F) उक्त तथ्यात्मक स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स 36 वर्ष बाद यह अपील पेश कर स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय में नहीं आए है तथा प्रकरण में कुछ गड़बड़ है तथा ऐसा विवादास्पद अनुतोष नामान्तरकरण की सरसरी जांच प्रक्रिया से नहीं दिया जा सकता तथा अपीलान्ट्स के अधिकारों का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित वादों में समुचित व मजबूत साक्ष्य पेश करके ही प्राप्त किया जा सकता है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

है, जिसमें पक्षकारों के मध्य अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह विधि का सुस्थापित तथ्य है।

(G) अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है। फलस्वरूप यह अपील अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार शेरगढ़ को निर्देश दिए जाते है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 9.2.1983 किस आधार पर खोला जाकर स्वीकृत किया है, जबकि दीपसिंह की मृत्यु दिनांक 08.01.2004 को होना मृत्यु प्रमाण–पत्र से बताया है, इसकी गहन जांच करे तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र किस आधार पर जारी हुआ है, उसकी भी जांच की जावें। अगर जांच में पाया जाता है कि दीपसिंह को दिनांक 9.2.1983 को गलत रूप से फौत बताया जाकर नामान्तरकरण करणसिंह के नाम से गलत भरा गया है तथा दीपसिंह के कोई विधिक वारिसान् नहीं है, तो दीपसिंह की सम्पत्ति बाबत् विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावें।

7. आदेश की प्रति तहसीलदार शेरगढ़ को भेजी जावे तथा मूल रिकॉर्ड भी लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 24.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested